

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी नरेन्द्र कुमार S/O लेमर विपक्षी
किसम मुकदमा का पत्रावली संख्या 519/2024 सन 2024
व्यवसाय पिता नारायण रावत

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी/प्रतिवादी/ गवाह/आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
17/12/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफूल कुमार जैन द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कारनकारी अधिनियम, 1955 के पेश किया गया। प्रतिवादी को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 24/12/21 को पेश हो।</p>	
24/12/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 23 नियम 1 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी/वादी की ओर से निवेदन किया कि वह इन प्रार्थना पत्र को निशे के जरिए खारिज करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रार्थना पत्र लीकार किया जाकर वाद जरिए निशे खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फौजदारी मुकदमा लेकर दायित्व सार है।</p>	

24/12/21 रमेश सीरवी पुनाड़िया
सिविल प्रभारी (SDM)
प्रशासन शीर्ष के संग न्यायालय
उपखण्ड भीण्डर

